न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./36/2018/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. बांकाराम पुत्र गुणेशाराम	**बनाम**	1.सांवला पुत्र लुंभाराम
2. गुणेशाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी परा तहसील व जिला बाड़मेर।		2.गोसाई पुत्र हडमानराम 3.मुस्मात चुनी बेवा हडमानराम 4.तुलछाराम पुत्र गंगाराम 5.हेमाराम पुत्र गंगाराम 6.स्व.भुराराम पुत्र गंगाराम के वारीसान 6/1दमाराम पुत्र भुराराम 6/2घमण्डाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी फरसाणी जाखडो की ढाणी खडीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर। 7.तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 बअनवान सांवलाराम वगैरह बनाम बांकाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ममता राठी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 6/2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 09.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक वाद पेश किया कि मौजा अजबपुरा हाथमा तहसील रामसर के खेत खसरा संख्या 145 रकबा 28.11 बीघा भूमि स्वयं के पिता/दादा लुम्बाराम द्वारा अपने अन्य भाई गुणेशा, तुलछा, हेमा व भुरा के साथ मिलकर खरीद करना जाहिर कर अपीलकर्ता बांकाराम के स्थान पर स्वयं का नाम उक्त खसरे के 1/5 हिस्सा में घोषित करने का निवेदन किया। वादग्रस्त आराजी अपीलकर्ता गुणेशा एवं बांकाराम ने अन्य क्रेता तुलछा, भुराराम, हेमाराम के साथ मिलकर बहिस्सा बराबर बराबर पूर्व खातेदार धना पुत्र धुडा जाट निवासी हाथमा से प्रतिफल रूपये 300 नकद अदा कर दिनांक 31.05.1968 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 44 पृष्ठ संख्या 205–206 सुमार नम्बर 310/68 पर पंजीबद्ध है। उक्त बेचाननामा के आधार वादग्रस्त आराजी उतरदाता संख्या 01 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

03 के पूर्वज लुम्भाराम द्वारा क्रय की हुई नहीं है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में उतरदाता संख्या 01 से 03 किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने उक्त बेचाननामा के दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा विशेष आपतियां पेश कर निवेदन किया था कि वादीगण का वाद म्याद बाहर है साथ ही वाद में चाहा गया अनुतोष भी रजिस्टर्ड बेचाननामा में शुद्धिकरण हेतु पेश है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है इसलिए राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा, रहवास एवं काश्त वक्त खरीद से आज दिन तक चला आ रहा है एवं वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के अनुतोष की मांग किये वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त विशेष आपतियो का कोई खण्डन वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/उतरदाता संख्या 01 से 03 का भौतिक कब्जा व काश्त है इस बाबत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं देते हुए साक्ष्य का अवसर बंद कर दिया जो कि न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को न्याय पाने एवं न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष स्थापित करने से वंचित किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलकर्ता गुणेशा एवं बांकाराम ने अन्य क्रेता तुलछा, भुराराम, हेमाराम के साथ मिलकर बहिस्सा बराबर बराबर पूर्व खातेदार धना पुत्र धुडा जाट निवासी हाथमा से प्रतिफल रूपये 300 नकद अदा कर दिनांक 31.05.1968 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 44 पृष्ठ संख्या 205–206 सुमार नम्बर 310/68 पर पंजीबद्ध है। उक्त बेचाननामा के आधार वादग्रस्त आराजी उतरदाता संख्या 01 से 03 के पूर्वज लुम्भाराम द्वारा क्रय की हुई नहीं है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में उतरदाता संख्या 01 से 03 किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बेचाननामा के दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा विशेष आपतियां पेश कर निवेदन किया था कि वादीगण का वाद म्याद बाहर है साथ ही वाद में चाहा गया अनुतोष भी रजिस्टर्ड बेचाननामा में शुद्धिकरण हेतु पेश है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है इसलिए राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा, रहवास एवं काश्त वक्त खरीद से आज दिन तक चला आ रहा है एवं वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के अनुतोष की मांग किये वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त विशेष आपतियो का कोई खण्डन वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/उतरदाता संख्या 01 से 03 का भौतिक कब्जा व काश्त है इस बाबत पेश किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं देते हुए साक्ष्य का अवसर बंद कर दिया जो कि न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को न्याय पाने एवं न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष स्थापित करने से वंचित किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से 1968 में सभी ने लिखकर (प्रदर्श–1) पांचों का संयुक्त वल्दियत पांचो का कब्जा, पांचो का हिस्सा भी लिखित में है। गुणेशा बड़ा था उसने अपने पुत्र बांकाराम का नाम जानबूझकर लिखवा दिया। वादीगण को इस तथ्य की जानकारी होने पर वाद प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर देने पर भी पेश नहीं होने पर बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि स्व. गंगाराम के पांच पुत्र थे– गणेशा, तुलछा, भूरा, हेमा तथा लूंभा। वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 145 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (31.05.1968) तहरीर कराते वक्त गणेशा ने अपने भाई लुंभा के स्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर शेष तीनो भाईयों के नामों के साथ अपने नाम सहित बांका का नाम लिखवा दिया। समग्र रूप में आद्यांत इस विक्रय विलेख का परिशीलन/परीक्षण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें गंगा के पांचो पुत्रों (पांचो भाईयों) की संयुक्त वल्दियत, पांचों भाईयों को कब्जा देना तथा पांचों भाईयों का हिस्सा आदि लिखे हुए है। इस विक्रय विलेख में पांच नामों में "बांका" का नाम है जबकि लूंभा का नाम नहीं है। इसमें "बांका" की वल्दियत गंगा अंकित है जबकि वास्तव में अन्य समर्थित दस्तावेजात, (प्रदर्श 3 से प्रदर्श 6), जो अभिलेख पर है, के अनुसार "बांका" गणेशा का पुत्र साबित है। अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी/अपीलांटगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया जाना रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा वादग्रस्त खेत ग्राम अजबपुरा (पुराना ग्राम हाथमा) खसरा संख्या 145 में स्व. लुभा के पुत्र सांवलाराम की रहवासी ढाणी मौजूद है, जिसमें वह निवासरत है। इस खसरे की भूमि में लूंभा का 1/5 हिस्सा तक खरीद से ही पूर्व में उसका एवं बाद में पुत्र सांवलाराम का अनवरत कब्जा काश्त भी है। उपरोक्त सभी तथ्य एवं अभिलेख यही साबित करते है कि गुणेशा द्वारा साशय अपने भाई लूंभा का नाम जानबूझकर विक्रय विलेख में छोड़ते हुए इसके स्थान पर अपने पुत्र "बांका" वल्द "गंगा" अंकित करवाते हुए किया, जो सरासर गलत एवं असद्भाविक है। अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण करने पर उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हुई है लिहाजा इसे यथावत रखा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 बअनवान सांवलाराम वगैरह बनाम बांकाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

9/9/2019

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner